न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा (म0प्र0)

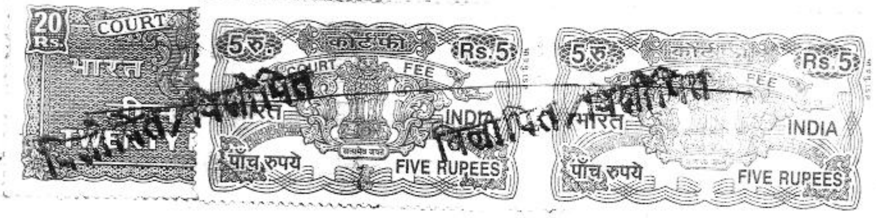

Rs.30/-

1– रामलखन तनय मनबोध अहिर

R 5089 ‒II/17

2– रामलक्षन तनय मनबोध अहिर

दोनो निवासी ग्राम सतनरा पवाई, पोस्ट हड़वड़ो, तहसील गोपदबनास, जिला सीधी (म0प्र0) ———आवेदकगण

बनाम

अजीत यादव तनय मनबोध यादव निवासी ग्राम सतनरा पवाई, पोस्ट हड़वड़ो, तहसील गोपदबनास, जिला सीधी (म0प्र0)

———अनावेदक

निगरानी विरूद्ध आदेश तहसीलदार महोदय तहसील गोपदबनास, जिला सीधी दिनांक 14/10/16 वावत् प्रकरण क0–76अ–74/2015–16

धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है :–

1– यह कि अनावेदक द्वारा एक फर्जी मामला मात्र म0प्र0 शासन को पक्षकार बनाकर विवादित भूमि नं0–176 जो आवेदक क्र0–1 रामलखन के स्वत्व, आधिपत्य की आराजी है व भूमि नं0–178 जो आवेदक क्र0–2 रामलक्षन के स्वत्व, स्वामित्व की आराजी है, जिसका बिना आवेदक को मामले में पक्षकार बनाये व सूचना सुनवाई का कोई मौका दिये, अनुविभागीय अधिकारी गोपदबनास के यहॉ धारा 89 म0प्र0 भू राजस्व संहिता के अधीन प्रकरण दायर कर जरिये प्रकरण क0–26–74/14–15 आदेश दिनांक 27/07/2015

(275)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 / 5089–दो / 2017 जिला–सीधी

रामलखन अहिर / अजीत यादव

(1)	(2)	(3)
24.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री रजनीश मिश्रा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार, तहसील गोपदबनास के प्रकरण क्रमांक 76 / अ–74 / 2015–16 में पारित आदेश दिनांक 14.10.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 16.07.19 को कलेक्टर, जिला सीधी के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	